

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3164/2019

Kanhaiyalal

----Appellant

Versus

Nirmala

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Shanker Singh Rajpurohit
For Respondent(s)	:	Mr. Rahul Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/04/2023

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना-पत्र, उसमें वर्णित कारणों को देखते हुए स्वीकार किया जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है तथा साथ ही उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 रामी देवी की मृत्यु हो जाने से उनका नाम अपील से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी दो सप्ताह में संशोधित वाद शीर्षक पेश करें।

पत्रावली दिनांक 05.05.2023 को बहस के लिए सूचीबद्ध की जाए।

अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

84-mayank/-